न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –107/2020
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2020/00133

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
चेनाराम पुत्र रेवन्तराम जाति राइका निवासी बसवाणी तहसील व जिला नागौर		1. दानाराम पुत्र रेवन्तराम जाति राइका 2. बीरमाराम पुत्र रेवन्तराम जाति राइका निवासीगण बसवाणी तहसील व जिला नागौर 3. श्रीमति लिच्छू पत्नी रेवन्तराम राइका निवासी बसवाणी तहसील नागौर। 4. नायब तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 3 की ओर से वकील श्री विकास सोनी, रेस्पोडेन्ट संख्या–4 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक : 11-01-2021**

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम बसवाणी का म्यूटेशन संख्या 490 जो नायब तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 17.01.2002 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 30.06.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने प्रकरण प्रकरण में मयाद प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने से पूर्व निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत म्यूटेशन जैर अपील की प्रमाणित प्रति में म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत करने की दिनांक स्पष्ट नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत करने की सही दिनांक 07.01.2002 के स्थान पर भूलवश दिनांक 17.01.2002 अंकित कर दी गई है, इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत दिनांक 07.01.2002 पढ़ी जाकर सुनवाई करने का निवेदन किया, जिस पर वकील रेस्पोडेन्ट्स ने भी वकील अपीलान्ट के कथन से सहमति जताई। मूल म्यूटेशन जैर अपील का अवलोकन किया जिससे भी यही स्पष्ट है कि म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत करने की दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:22 IST
Reason: Self Attested

कलक्टर, नागौर

17.01.2002 नहीं होकर सही दिनांक 07.01.2002 है। अतः वकील अपीलान्ट की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना—पत्र के साथ अपना शपथ—पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अभी अपीलांट ने म्यूटेशन की नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया तथा 15.06.2020 को नकल प्राप्त हुई तब नकल देने वालों ने बताया कि अपीलांट का नाम नामान्तरकरण में चढा हुआ नहीं है तब अपीलांट को सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि म्यूटेशन अपीलान्ट के नाम भरा नही गया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण न्यायालयों में कार्य नहीं होने से यह अपील बिना विलम्ब के पेश की जा रही है। अपीलान्ट अंगूठा छाप अनपढ व्यक्ति है और उसे प्रारम्भ में म्यूटेशन में अपने नाम चढे होने की जानकारी नहीं हो सकी थी। अपीलांट इसी विश्वास में रहा कि निर्णय अनुसार म्यूटेशन भर दिया गया है। निर्णय के विपरीत होने से म्यूटेशन प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य तथा अकृत होने से म्यूटेशन अपील की कोई समय सीमा नहीं है फिर भी देरी माफ करने हेतु यह आवेदन पेश करने का कथन करते हुए समय भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने का समुचित व पर्याप्त कारण है देरी माफ कर अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट की अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम बसवाणी के मूल खसरा संख्या 213 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 217 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 236 रकबा 30 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 237 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 238 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 357 रकबा 30 बीघा कुल 84 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके मौजा बसवाणी के सहखातेदारी ने आपसी सहमति से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के अन्तर्गत इस सम्पूर्ण 84 बीघा 12 बिस्वा भूमि का विभाजन कर लिया। विभाजन पत्रावली संख्या 213/2002 में दिनांक 7.1.2002 को निर्णय पारित हुआ उस निर्णय अनुसार खसरा संख्या 357 की 15 बीघा उत्तर दिशा की, खसरा संख्या 236 की 10 बीघा 2 बिस्वा बीच की, खसरा संख्या 237 की 3 बिस्वा उतर तरफ की तथा खसरा संख्या 238 की 8 बिस्वा पूर्व दिशा की भूमि अपीलांट चेनाराम तथा रेस्पोडेन्ट्स दानाराम, बीरमाराम व माता लिच्छू के शामिलात संयुक्त कब्जे संयुक्त खातेदारी की रखी गई तथा बाकी भूमि अन्य सहखातेदारो के बंट में रखी गई। प्रकरण संख्या 213/2002 में पारित निर्णय दिनांक 7.1.2002 की पालना में नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण भरा गया तब अन्य सहखातेदारों के बंट खातेदारी में भी भूमि का नामान्तरण सही भर दिया गया मगर अपीलांट चेनाराम तथा रेस्पोडेन्ट दानाराम, बीरमाराम, लिच्छु के बंट खातेदारी की घोषित भूमि का म्यूटेशन सही नहीं भरा गया जो संभवत राजस्व कर्मचारियों की मानवीय भूल दिखाई देती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:22 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन नामान्तरण अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। म्यूटेशन बंटवाडा पत्रावली संख्या 213/2002 में पारित निर्णय अनुसार भरा जाना चाहिए था मगर नामान्तरण न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए भरा गया जो सर्वथा विधि विरूद्ध भरा गया। निर्णय अनुसार गांव बसवाणी के खसरा नम्बर 236 की 10 बीघा 3 बिस्वा बीच की, खसरा संख्या 237 रकबा 3 बिस्वा उतर तरफ की तथा खसरा संख्या 238 की 8 बिस्वा पूर्व दिशा की भूमि चेनाराम, दानाराम, बीरमाराम पुत्रगण रेवन्तराम तथा माता लिच्छू पत्नी रेवन्तराम के संयुक्त खातेदारी की घोषित व विभाजित की गई थी। इसी अनुसार म्यूटेशन भरा जाना चाहिए था मगर केवल दानाराम, बीरमाराम और लिच्छु के नाम ही म्यूटेशन भरा गया और अपीलांट का नाम गलती या भूल से म्यूटेशन में चढाना रह गया। अपीलांट निर्णय की पालना में अपना नाम भी म्यूटेशन में चढाने का अधिकारी है। अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 490 मे सगताराम, खींयाराम, दानाराम, बीरमाराम, लिच्छू के नाम भरा म्यूटेशन सही है मगर अपीलांट का नाम म्यूटेश्न में सहवन से दर्ज होना रह गया है इसलिए इस म्यूटेशन में संशोधन करने के आदेश देकर अपीलांट के नाम म्यूटेशन भरे जाने के भी आदेश दिये जाने न्यायहित में आवश्यक होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम बसवाणी के म्यूटेशन संख्या 490 में संशोधन करने के आदेश देकर बाकी इन्द्राज को यथावत रखते हुए दानाराम, बीरमाराम, लिच्छू के साथ म्यूटेशन में अपीलांट का नाम भी जोडे जाने का आदेश फरमाने अथवा विकल्प में ग्राम बसवाणी के खसरा संख्या 213, 217, 236, 237, 238, 357 का म्यूटेशन पत्रावली संख्या 213/2002 में पारित निर्णय दिनांक 7.1.2002 की पालना में सगताराम, खींयाराम, दानाराम, बीरमाराम, लिच्छु के साथ अपीलांट चेनाराम के नाम भी म्यूटेशन भरे जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में बंटवाड़ा पत्रावली संख्या 213/2002 में तहसीलदार नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2002 की पालना में म्यूटेशन जैर अपील दिनांक 07.01.2002 नायब तहसीलदार नागौर द्वारा स्वीकृत किया गया है, परन्तु माफिक बंटवाड़ा आदेश 07.01.2002 म्यूटेशन जैर अपील में सहवन से अपीलान्ट का नाम रह जाने का कथन करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर को प्रकरण में माफिक बंटवाड़ा आदेश अपीलान्ट के नाम म्यूटेश्न दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। बंटवाड़ा पत्रावली संख्या 213/2002 में त[illegible] नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2002 के बिन्दु संख्या–3(ग) अनुसार [illegible], बिरमाराम पुत्र रेवन्तराम लिछू बेवा रेवन्तराम के खाते में खसरा नम्बर 357 [illegible] बीघा उत्तरी भाग, खसरा नम्बर 236 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2[illegible] रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 238 में 8 बिस्वा भूमि का सहमति से बंटवाड़ा स्वीकार किया गया है। म्यूटेशन जैर अपील दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:22 IST
Reason: SelfAttested

07.01.2002 नायब तहसीलदार नागौर द्वारा उक्त बंटवाड़ा आदेश दिनांक 07.01.2002 की पालना में स्वीकृत किया गया है। परन्तु माफिक बंटवाड़ा आदेश 07.01.2002 म्यूटेशन जैर अपील में अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर द्वारा पारित म्यूटेशन जैर अपील आदेश दिनांक 07.01.2002 अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है, कि उपर्युक्तानुसार तहसीलदार नागौर द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 07.01.2002 के अनुसरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलान्ट के संबंध में पुनः नये सीरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मूल बंटवाड़ा पत्रावली तहसीलदार नागौर को तथा मूल म्यूटेशन जैर अपील तहसीलदार(भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर को निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर,नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:22 IST
Reason: SelfAttested